बिहार विधान परिषद

(203 बजट सत्र)

15 मार्च 2023

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

कुल प्रश्न 31

योजनाओं का निष्पादन

***237 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की 57 और निगम बोर्ड की 26 एवं विशेष बैठक 11 होने के बावजूद 21 अधूरी पड़ी योजनाओं का कार्यान्वयन आज तक पूरा नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि निगम बोर्ड की 298 योजनाओं में दो दर्जन से अधिक ऐसी योजनाएं थीं जिसके पूर्ण होने से शहर की सूरत बदल जाती पर ऐसा 2017 से 2022 के बीच नहीं हुआ;

(ग) क्या यह सही है कि इन अधूरी पड़ी योजनाओं में स्लम बस्तियों में रहनेवालों के लिए बहुमंजिली इमारत, सार्वजनिक क्षेत्र में तीन बड़े मॉल और 700 से अधिक जर्जर सड़कों की मरम्मती आदि प्रमुख हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन अधूरी पड़ी योजनाओं का निष्पादन किस निश्चित तिथि तक कराना चाहती है, नहीं तो क्यों?

शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

*238 **श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चंपारण, मोतिहारी शहर में अमरूत योजना की निविदा के चार साल बाद भी 11 वार्ड में पाइप जलापूर्ति योजना का कार्य आधा-अधूरा है, जिसके कारण हजारों घर हाउस होल्ड कनेक्शन सर्वे से वंचित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्र में हर घर को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए 105 करोड़ 44 लाख की निविदा हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त राशि के सदुपयोग तथा शहरवासियों को शुद्ध पेयजल कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

मुआवजा भुगतान

*239 **डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जिला मुजफ्फरपुर के भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा ग्राम कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर के लिए मेकअप वाटर पाइप लाइन निर्माण हेतु मौजा-धमौली रामनाथ (चादर नं०-05, थाना नं०- 496, अंचल- कांटी में बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के तहत 7.41 एकड़ भूमि सतत लीज पर ली गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि लीज पर ली गई भूमि का किसानों को मुआवजा भुगतान अभी तक नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसानों की भूमि का मुआवजा भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

एफ.आई.आर. दर्ज

*240 **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 में संपत्ति निरूपण की धारा 145 के अंतर्गत पटना नगर निगम को यह अधिकार प्रदत्त है कि बिना नगर आयुक्त के लिखित अनुमति के विज्ञापन के लिए पोस्टर, पम्पलेट, दीवार लेखन नहीं

किया जा सकता है;

(ख) क्या यह सही है कि बिना अनुमति विज्ञापन चिपकाने पर नगर निगम एफ.आई.आर. दर्ज करा सकती है तथा पोस्टर चिपकाने वालों से जुर्माना वसूल कर सकती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताना चाहती है कि अबतक कितने लोगों पर उक्त कानून के उल्लंघन के कारण कार्रवाई करते हुए जुर्माना की वसूली की गई है एवं एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है?

दण्डात्मक कार्रवाई

***241 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला के नवीनगर अंचल के श्री निर्मल सिंह, हलका राजस्व कर्मचारी के खिलाफ श्री अरविन्द कुमार तिवारी, ग्राम- काड़ी, नवीनगर के द्वारा अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यालय में परिवाद दाखिल किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त राजस्व कर्मचारी का कार्य-कलाप हमेशा से विवादित रहा है तथा उसे अंचलाधिकारी, नवीनगर का संरक्षण प्राप्त है;

(ग) क्या यह सही है कि अपर समाहर्ता के पत्रांक- 253, दिनांक- 18.01.2023 के आलोक में परिवाद दाखिल करने वाले व्यक्ति द्वारा दिनांक- 19.01.2023 को वांछित ऑडियो-क्लिप उपलब्ध कराए जाने के बाद भी उक्त कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गयी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जमीन का निबंधन

***242 प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि नवादा एवं हिसुआ शहरी क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों से हजारों ऐसे मकान बने हुए हैं जिनकी भूमि हाल के सर्वे में बिहार सरकार के नाम पर दर्ज हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्र में अवस्थित इन मकानों का नगर निकाय द्वारा विधिवत होल्डिंग इंदराज कायम है और रसीद भी कट रही है;

(ग) क्या यह सही है कि नवादा जिले में बिहार सरकार के खाता की जमीन के निबंधन पर रोक के फलस्वरूप ऐसे तमाम लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिसके नाम पर सक्षम न्यायालयों के आदेश के आलोक में बिहार सरकार के खाता की जमीन की जमाबंदी कायम है तथा मालगुजारी रसीद भी कट रही है;

(घ) क्या यह सही है कि प्रश्नागत डिमांडधारी अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए अपने जायदाद की बिक्री नहीं कर पा रहे हैं, जिससे सरकारी राजस्व का भी नुकसान हो रहा है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सक्षम न्यायालयों के आदेश से कायम डिमांडधारियों एवं रसीद धारकों की जमीन के निबंधन एवं नामांतरण हेतु कोई नीतिगत निर्णय लेने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

स्ट्रीट लाईट में बल्ब

***243 श्रीमती रेखा कुमारी (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी एवं शिवहर शहर में स्ट्रीट लाईट में बल्ब की व्यवस्था नहीं हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि रात के समय में आम जनता को लाईट न होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में सीतामढ़ी शहर एवं शिवहर शहर में स्ट्रीट लाईट में बल्ब लगाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सड़क एवं नाले की स्थिति में सुधार

***244 श्री भूषण कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पाटलिपुत्र स्थित पाटलिपुत्र कॉलोनी में सड़कों की स्थिति काफी जर्जर है जिससे जनमानस को आवागमन करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि पाटलिपुत्र कॉलोनी में नाला का निर्माण नहीं हुआ है जिससे बरसात के मौसम में काफी कठिनाई होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बताना चाहेगी कि पाटलिपुत्र कॉलोनी में सड़क एवं नाले की स्थिति में सुधार कबतक होगा, नहीं तो क्यों?

ठोस योजना

*245 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में दाखिल-खारिज की सुस्त रफ्तार से आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, लंबित मामलों की सूची लगातार लंबी होती जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि जितने आवेदन कार्यालयों को मिलते हैं, उनमें से एक-तिहाई मामले खारिज कर दिये जाते हैं और दोबारा आवेदन करने पर भी लोगों को राहत नहीं मिल पाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु कोई ठोस योजना बनाने का विचार रखती है?

विशेष अवकाश

*246 **मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **सामान्य प्रशासन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत महिलाकर्मियों को महीना में दो दिनों का विशेष अवकाश देने संबंधी आदेश का अनुपालन राज्य सरकार के ही कुछ विभागों में हो रहा है जबकि कुछ विभागों में यह सुविधा नहीं दी जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि योजना एवं विकास विभाग के कार्यालय आदेश संख्या- यो.स्था./2-05/2022/यो.वि., दिनांक- 22 नवंबर 2022, श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या- 5/श्रमस्था.-3(3)-11/22021, दिनांक- 5-7-2022 द्वारा यह सुविधा देने का आदेश निर्गत किया गया है जबकि कई विभागों द्वारा यह सुविधा नहीं दी जा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी सरकारी कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत सभी महिलाओं को दो दिनों के विशेष अवकाश की सुविधा प्रदान करने संबंधी आदेश निर्गत करना चाहती है और इस आदेश का अनुपालन

सभी कार्यालयों के लिए बाध्यकारी बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सड़क एवं नाला का निर्माण

***247 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, अजीमाबाद, पटना नगर निगम, पटना के पत्रांक- 429/ए.जेड़, दिनांक- 31.03.2022 द्वारा मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम, पटना को अक्षय नगर, रोड नं.- 4, जकरियापुर, बड़ी पहाड़ी, पटना- 7 के पी.सी.सी. सड़क एवं आर.सी.सी. नाला निर्माण हेतु 54,91,178 /- (चौवन लाख इकानवे हजार एक सौ अठहत्तर) रुपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रपत्र 'क', प्रपत्र 'ग' एवं प्राक्कलन आदि पत्रांक- 429/ए.जेड़, दिनांक- 31.03.2022 द्वारा मुख्य नगर अभियंता, पटना को भेजी गई है;

(ग) क्या यह सही है कि लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी विभाग द्वारा अबतक कार्य नहीं कराया गया है, जो खेद का विषय है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'क' में वर्णित पी.सी.सी. सड़क एवं आर.सी.सी. नाला का निर्माण यथाशीघ्र कराते हुए संलिप्त दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नाला का निर्माण

***248 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड नं.- 3 में उफरपुरा (टहल टोला) में प्राथमिक विद्यालय से बल्ली जी के घर (ट्रांसफार्मर) तक नाला का निर्माण नहीं होने के कारण घरों का पानी सड़क पर गिरता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नाला का निर्माण नहीं होने के कारण स्कूल के बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है एवं बरसात के मौसम में सड़क की स्थिति नारकीय हो जाती है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार के सात निश्चय योजना के तहत नाला का निर्माण कराने की योजना है, फिर भी विभाग द्वारा शिथिलता बरती जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में ऊपर वर्णित नाला का निर्माण शीघ्र कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पर्यटक स्थल घोषित

*249 **श्री अशोक कुमार पाण्डेय (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बक्सर जिला एक आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पौराणिक स्थल है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बक्सर जिले को तीर्थ स्थल एवं पर्यटक स्थल घोषित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

विद्युत शवदाह का निर्माण

*250 **श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिले के बेनीपट्टी नगर पंचायत में एक भी विद्युत शवदाह गृह नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि विद्युत शवदाह गृह नहीं होने के कारण लकड़ियों का उपयोग किया जाता है जिससे कि प्रदूषण बहुत अधिक होता है एवं गरीब लोगों को आर्थिक दोहन का सामना करना भी पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बेनीपट्टी नगर पंचायत के सरसों गांव (वार्ड नंबर- 22), वार्ड नंबर- 2 उच्चैठ भगवती स्थान और वार्ड-15 अनुमंडल कार्यालय बेनीपट्टी से दक्षिण सार्वजनिक स्थानों पर विद्युत शवदाह गृह बनाने की योजना रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

फ्लाई ओवर का निर्माण

*251 **श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला अन्तर्गत गया शहर में सरकारी बस स्टैंड से गया कॉलेज होते हुए A.N.M.C.H अस्पताल के आगे तक फ्लाईओवर का निर्माण नहीं होने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे शहरवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बस स्टैंड से गया कॉलेज होते हुए A.N.M.C.H अस्पताल तक फ्लाईओवर बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अनाथालय का निर्माण

***252 श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार शहर में अनाथालय रोड स्थित अनाथ आश्रम की स्थिति काफी जर्जर अवस्था में है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त शहर में मात्र एक ही अनाथालय है, जिसमें पिछले 14-15 वर्षों से कोई देख-रेख करने वाला नहीं है, उसमें कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है साथ ही जंगल भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त शहर के एकमात्र अनाथालय को नये सिरे से बनाने एवं सुसज्जित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

मूलभूत सुविधाओं का विकास

***253 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बक्सर जिला अंतर्गत चरित्रवन में गंगा नदी के किनारे श्मशान घाट है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त श्मशान घाट पर शेड, पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त श्मशान घाट पर शेड, पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्ति

***254 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के झंझारपुर अंचलान्तर्गत ग्राम- हैंठीवाली के

टोला हैंठी में अवस्थित खाता- 75 एवं खेसरा- 479 से संबंधित जमीन एक भूमिहीन श्री मोहन मुखिया, पिता का नाम- स्व. सकरलुची मुखिया की पुश्तैनी वास की जमीन है, जिसे बलपूर्वक बाहरी व्यक्तियों ने वर्षों से कब्जा कर रखा है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली- 2007 के अन्तर्गत ग्राम कचहरी महिनाथपुर, थाना- भैरव स्थान, जिला- मधुबनी की न्यायपीठ ने वाद संख्या- 34/2012 में दिनांक- 23.05.2012 को 01 जून, 2015 तक अतिक्रमणकारियों को इस आधार पर जमीन खाली कर देने का निर्णय पारित किया था कि प्रतिवादी के पास कब्जा की गई भूमि का न तो कोई दस्तावेज है और न ही कोई सबूत, फिर भी, अभी तक जमीन खाली नहीं की गई है, जबकि अंचलाधिकारी, झंझारपुर एवं थानाध्यक्ष के स्तर पर इस संबंध में कई बार बैठकें हो चुकी हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कौन सी और कबतक, नहीं तो क्यों?

नाला का निर्माण

*255 **श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारी शरीफ प्रखंड अन्तर्गत चिलविली पंचायत में कुसुमपुर कॉलोनी, कुरथौल, पटना (निअर एस.डी.वी. स्कूल, कुरथौल, पटना) के नजदीक किसू राज मोटरसाईकिल रिपेरिंग गली में ढलाई रोड (पी.सी.सी.) नहीं रहने के कारण लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि बरसात के दिनों में बुजुर्गों, महिलाओं एवं बच्चों को आने-जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, नाली का गंदा पानी गली में बहता रहता है, जिससे वहां के बाशिंदे नारकीय जीवन जीने को विवश हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित में कबतक उक्त गली की पी.सी.सी. ढ़लाई एवं नाला का निर्माण कराना चाहती है?

पदाधिकारी पर कार्रवाई

*256 **श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखण्ड के ग्राम सादिकपुर में श्री कनिष्क रंजन, पिता श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह के नाम से 4.5 डिसमिल जमीन, जिसका थाना नं.- 28, तौजी नं.- 2544, खाता नं.- 98, प्लौट नं.- 156 है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर गाय-भैंस को बांधकर जमीन को अपने कब्जे में कर लिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा उक्त मामले के निपटारा से संबंधित आवेदन दिनांक- 17.01.2023 को अंचलाधिकारी, मनेर, पटना को प्राप्त कराया गया, लेकिन अबतक उसपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमीन को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराते हुए संलिप्त पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कर्मचारी / पदाधिकारी का स्थानांतरण

***257 श्री संतोष कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, रोहतास एवं कैमूर):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि डेहरी ऑन सोन नगर परिषद् वर्षों से संचालित है, लेकिन उक्त नगर परिषद् का कार्य संतोषजनक नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार सरकार के नियमानुसार तीन वर्षों में कर्मचारियों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने का प्रावधान है, लेकिन उक्त नगर परिषद् में वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित कर्मचारियों / पदाधिकारियों का स्थानांतरण नहीं हो पाया है;

(ग) क्या यह सही है कि लम्बे अर्से से एक ही स्थान पर बने रहने के कारण वरीय पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं हो पाता हैं जिसके कारण कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, गंदगी का अम्बार कार्यालय के चारों तरफ लगा रहता है, गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं होने के कारण आसपास के लोगों में रोष व्याप्त है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अभी तक कौन-कौन कर्मचारी / पदाधिकारी कितने दिनों से एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं और उनका स्थानांतरण तीन वर्ष से अधिक हो जाने के बावजूद दूसरे स्थान पर नहीं हो पाया है, ऐसे कर्मचारी / पदाधिकारी का स्थानांतरण सरकार कबतक करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

जमीन का पर्चा निर्गत

***258 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिला के पानापुर प्रखण्ड अंतर्गत बकवा गांव में पोखर एवं भिंडा की सरकारी जमीन पर 70-80 वर्षों से गरीब लोग कच्चा मकान एवं फूस की

झोपड़ी बनाकर अपने बच्चों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पूर्व के जमींदार बाबू चन्द्रदेव तिवारी द्वारा उक्त भूमि पर बसे राजू पंडित पिता- धरीछन पंडित एवं अन्य के पूर्वजों के नाम जमीन का पट्टा दिया गया है, जिसका तौजी नं.- 2698, खाता नं.- 483, जमाबंदी नं.- 45 है;

(ख) क्या यह सही है कि कुछ भूमि माफियाओं द्वारा पोखर एवं भिंडा पर बसे गरीब लोगों को उजाड़ने और जमीन पर अवैध कब्जा करने का षडयंत्र किया जा रहा है ताकि वह सरकारी भूमि का उपयोग स्वयं कर सकें, उसी स्थान पर मेसर्स शिवा भारत गैस एजेंसी का गैस गोदाम अवस्थित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरकारी जमीन पर 70-80 वर्षों से बसे शेष गरीब लोगों के लिए जमीन का पट्टा/पर्चा निर्गत करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

तालाब का जीर्णोद्धार

***259 श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार शरीफ नगर निगम के वार्ड सं.- 23 में अवस्थित हौजे बब्बर तालाब जिसका कुल रकवा 17 एकड़ है, लंबे समय से उपेक्षित रहने के कारण गंदगी से भरा पड़ा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित तालाब का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जमीन की नापी

***260 डा. रामवचन राय (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि संतोष सिंह, पिता- स्व. चंद्रमा सिंह, ग्राम- गंगाजल, थाना- सोनपुर, अंचल- सोनपुर, जिला- सारण द्वारा खाता- 522, खेसरा- 1667 में श्री अविनाश अमन, पिता- श्री नवल किशोर सिंह तथा रामाशंकर यादव, पिता- लोरिक यादव को एक-एक कट्ठा जमीन वर्ष 2012 में रजिस्ट्री बयनामा किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त खाता, खेसरा की जमीन को अविनाश अमन एवं रामाशंकर यादव दाखिल-खारिज कराकर राजस्व रसीद कटाकर मालगुजारी टैक्स लगातार अदा करते आ रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि अंचल कार्यालय, सोनपुर से आग्रह किये जाने के बावजूद उक्त खाता- 522, खेसरा- 1667 की जमीन की नापी नहीं कराई जा रही है जिसके कारण स्थानीय असामाजिक तत्व द्वारा उक्त जमीन को हड़पने हेतु व्यवधान डाला जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अविनाश अमन का जमाबंदी नं.- 2000 तथा रामाशंकर की जमीन का जमाबंदी नंबर- 2003, खाता- 522 एवं खेसरा- 1667 की जमीन का अंचल अमीन के द्वारा नापी कराकर पीलर लगवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सड़क को अतिक्रमण से मुक्त

*261 **श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिला के बेनीपुर कार्य प्रमंडल अन्तर्गत तारडीह से अलीनगर प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क (हरिहरपुर से ककोढ़ा चैक तक) अतिक्रमित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के अतिक्रमित होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सार्वजनिक हित में उक्त सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

पर्यटक सर्किट के रूप में विकसित

*262 **श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सरकार रोहतास जिला एवं कैमूर जिला के पर्यटक स्थलों को पर्यटक सर्किट के रूप में विकास करना चाहती है;

(ख) क्या यह सही है कि इन दोनों जिलों में हर रोज लाखों की संख्या में लोग घूमने और दर्शन करने आते रहते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि कैमूर पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी धाम एवं रोहतास पहाड़ी पर स्थित मां तारा चंडी धाम, मां तुतला भवानी, महादेव खोह, गुप्ता धाम, कैमूर और रोहतास के बीच बने करमचट डैम, रोहतास शेरगढ़ किला, शेरशाह का मकबरा और धुआं कुंड जैसे अनेकों पर्यटक स्थल इन दोनों जिलों में है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन दोनों जिलों

को पर्यटक सर्किट के रूप में विकसित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्लॉट का अधिग्रहण

*263 **प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के लिए अधिग्रहीत भूमि में राजस्व कर्मचारी की गलती के कारण कुछ प्लॉट छूट गये जिसके कारण अधिग्रहीत भूमि में निर्मित प्रशासकीय भवन के पास ही निजी मकान बनाया जा रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो गलती से छूट गये प्लॉट का पुनः अधिग्रहण सरकार कबतक करेगी?

अमृत योजना के तहत पेयजल आपूर्ति

*264 **श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद नगर परिषद् में कुल वार्ड 33 हैं जहां पेयजल आपूर्ति हेतु अमृत योजना की शुरुआत की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत कुछ वार्डो में पाइप लाइन बिछाकर पानी की आपूर्ति की गई है परन्तु शेष वार्डो को इस योजना की सुविधा से वंचित कर दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि अमृत योजना से वंचित लोगों को पेयजल के लिए एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाना पड़ रहा है;

(घ) क्या यह सही है कि अमृत योजना के कार्य को पूरा कराने के लिए दो बार निविदा निकाली गई परन्तु दोनों ही बार निविदा को रद्द कर दिया गया;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार समस्त औरंगाबाद जिला में सुचारू रूप से अमृत योजना के तहत पेयजल प्रत्येक घर तक पहुंचाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जनगणना से छूट

***265 श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

क्या मंत्री, **सामान्य प्रशासन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना- 2022 का दूसरा चरण एक अप्रैल 2023 से शुरू होने जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि 22 मार्च से 21 अप्रैल 2023 तक अल्पसंख्यकों के महान पर्व रोजा में रहने के कारण इस कार्य में लगे अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षकों / कर्मियों को गणना का कार्य करने में परेशानी होगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षकों / कर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें 21 अप्रैल 2023 तक जाति आधारित जनगणना से छूट देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्लान की स्वीकृति

***266 डा. दिलीप कुमार जायसवाल (पूर्णिया, अररिया स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि किशनगंज नगर परिषद् द्वारा विकास हेतु लगभग 300 करोड़ राशि का मास्टर प्लान बनाकर स्वीकृति हेतु विभाग के पास भेजा गया है परन्तु अबतक विभाग द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि किशनगंज नगर परिषद् द्वारा उक्त परियोजना को डूडा के माध्यम से भेजा गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किशनगंज हेतु प्रेषित मास्टर प्लान को शीघ्र स्वीकृत कर कार्यान्वयन कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पर्यटन स्थल विकसित

***267 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अरवल जिला के कुर्था प्रखण्ड की बारा पंचायत के ग्राम पंतित में प्रत्येक वर्ष हजारों श्रद्धालु पूजा-पाठ करने एवं छठ व्रत करने हेतु आते हैं, परन्तु इन श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की घोर कमी है;

(ख)	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?